

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रं.

/2016/निगरानी

R 4191-PB-16

1. उर्मिला पत्नी स्व. श्री रामनिवास आयु 52 वर्ष व्यवसाय घरू कार्य
2. नरेश पुत्र स्व. श्री रामनिवास आयु 30 वर्ष व्यवसाय कृषि
3. गजेन्द्र पुत्र स्व. श्री रामनिवास आयु 23 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासीगण ग्राम रुद्रपुरा जिला ग्वालियर .....प्रार्थीगण  
बनाम

श्रीमती अंगूरी पत्नी श्री भीकमसिंह कुशवाह व्यवसाय घरूकार्य निवासी-भीकम नगर चार शहर का नाका हजीरा ग्वालियर ....प्रतिप्रार्थिनी

श्री. 227. 276 2021  
द्वारा राज 9-12-16 को  
प्रस्तुत  
गजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

20 स. एन. शर्मा  
पुस्तक


100

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरुद्ध पारित आदेश द्वारा श्री एस.एन. रूपला आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रं. 265/15-16 अपील आदेश दिनांक 24.10.16

20/10/16

उत्तर प्रदेश न्यायाधीश

R 4171. 10/11/17

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर  |
|------------------|--|---|
| 10.1.2017        | <p>आवेदनकर्ता की ओर से श्री एस. एन. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आयुक्त के आदेश दिनांक 24.10.16 की सत्य प्रामाणिकता का अन्वेषण किया गया। आयुक्त द्वारा अर्वाची विधान की धारा 5 का आदेश प्रस्तुत नहीं होने' से अर्वाची अर्वाची मान्य निरस्त की है। इस सम्बन्ध में आवेदनकर्ता के विधान अभिभाषक का तर्क है कि आयुक्त को आदेश पर प्रस्तुत करने का अवसर देना था। तर्क के सम्बन्ध में 2015 आ. एन. 8 584 का शायद ही तर्क प्रस्तुत किया गया। उक्त शायद ही तर्क में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिष्कारित यात्रिक लिखित के प्रकाश में आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकाश इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना है कि आवेदनकर्ता को अर्वाची विधान की धारा 5 के अन्वेषण आदेश पर प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधान आदेश पारित करें।</p> |  |

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
अध्यक्ष